न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 47/25 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2025/171

उनवान

1. गोपाल पुत्र किशनलाल जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मनवा खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
2. मोहनलाल पुत्र किशनलाल जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मनवा खेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
3. लक्ष्मीलाल पुत्र किशनलाल जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मनवा खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. उदयलाल पुत्र कमला जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. खेमराज पुत्र वरदा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. चुन्नी पत्नी रामा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. चुनीबाई पत्नी कमला जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. जानीबाई पुत्री कमला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. बाबुलाल पुत्र कमला जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. मोहनलाल पुत्र कमला जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. राधी पुत्री वरदा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. लच्छीराम पुत्र वरदा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. लोगर पुत्र कमला जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. उदा पुत्र कना जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. गिरिजा देवी पत्नी गिरिराज लावटी (माहेश्वरी), उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. गीतादेवी पत्नी सत्यनारायण माहेश्वरी, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested

14. निर्मल कुमार लोढा पुत्र धर्मेश लोढा जैन, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
15. कना पुत्र वरदा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
16. कमला पुत्र नारू जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
17. किशनलाल पुत्र वाला जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
18. गमेरा पुत्र भेरा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
19. गहरीलाल पुत्र नाथू जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
20. गोपीबाई पत्नी लच्छा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
21. जवेरीबाई पत्नी नारू जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
22. डालु पुत्र वरदा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
23. देवीलाल पुत्र ठाकरी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
24. नवा पुत्र हीरा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
25. पना पुत्र भेरा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
26. पेमा पुत्र नाथू जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
27. प्रताबी बाई पुत्री भेरा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
28. बेनकी पुत्री लछा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
29. भगवान पुत्र नाथू जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
30. भूरा पुत्र नन्दा जाति डांगी उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
31. भीमा पुत्र भेरा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
32. भीमा पुत्र वरदा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
33. माना पुत्र ऊंकार जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
34. मोहन पुत्र भेरा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested

35. रूकमणी पत्नी वगता जाति डांगी उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा. तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
36. रामलाल उर्फ रामा पुत्र लच्छा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
37. रामलाल पुत्र वाला जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
38. लच्छूबाई पत्नी वाला जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
39. लहरी पत्नी हीरा जाति डांगी उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
40. शंकरलाल पुत्र ठाकरी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
41. रामा पुत्र लछा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
42. हेमा पुत्र उदा जाति डांगी उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
43. मोतीलाल पुत्र हेमा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेड़ा. तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
44. रूपलाल पुत्र हेमा जाति डांगी उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
45. सोहनदास पुत्र बंशीदास वैरागी उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली खेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
46. पुष्पादेवी पत्नी रोशनलाल जाति रेगर, उम्र वयस्क, निवासी मावली गावं, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
47. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज०)
48. गणेश पिता लाला डांगी निवासी गन्दोली खेड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री दिलीप वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 48 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 09.03.2026

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा गन्दोलीखेड़ा, पटवार हल्का लदानी तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 289, 290, 291, 292 किता 4 कुल रकबा 2.9947 हैक्टेयर भूमि हम प्रार्थीगण के नाम पर स्वतंत्र खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के हिस्से विपक्षीगण की भूमि स्थिति है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने की संभावना है। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested

उक्त कृषि भूमि की पूर्वी व पश्चिमी सीमाओ का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में मेरी खातेदारी की भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो। अंत में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावे की उक्त वर्णित हम प्रार्थीगण की सहखातेदारी कृषि भूमियों की पूर्वी व पश्चिमी दिशाओ की सीमा की पत्थरगड़ी कराई जाकर स्थायी सीमांकन कराया जावे तथा हम प्रार्थीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 46 अथवा अन्य किसी का अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण पाया जावे तो हमारी कृषि भूमि से उनके खर्चे से इनके अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माण को हटवाया जाकर हमारी कृषि भूमि का कब्जा हम प्रार्थीगण को सुपुर्द किये जाने हेतु आदेशित किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 47 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 से 14, 16 से 21, 23 से 34, 36 से 38, 40, 41, 43 से 46 बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी संख्या 4, 15, 22, 35, 39, 42 के विरूद्ध अधिवक्ता प्रार्थीगण स्वयं द्वारा ही कोई कार्यवाही नही चाहने से इनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई। विपक्षी संख्या 48 को जवाब का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी जवाब पेश नही करने से जवाब का अवसर बंद किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया की उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है इसमें विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकारी है। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 48 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा गन्दोली खेडा पटवार हल्का लदानी तहसीलदार मावली जिला–उदयपुर (राज०) में निम्न कृषि आराजीयात स्थित है जिसके आराजी नम्बर–289 रकबा 0.0486 हेक्टेयर, 290 रकबा 0.0486 हेक्टेयर, 291 रकबा 1.5378 हेक्टेयर है, 292 रकबा 1,3597 हेक्टेयर है। उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकर्ड प्रार्थीगण के नाम पर 1/3 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित है परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नही है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में मूल पुरूष सवा जी के चार पुत्र क्रमशः गुमाना, थाना, ढुंगा एवं हेमा हुऐ। ढुंगा जी के पूर्व में कोई जायन्दा संतान नही थी जिस कारण समाज के मौतबीरो ने गांव वालो की उपस्थिति में थाना के पुत्र लालु को गोद रख लिया। लालु के गोद [illegible] उपरान्त ढुंगा जी के संताने उत्पन्न हुई जो मोतीलाल उत्पन्न हुआ। ढुंगा जी की [illegible] के नामान्तकरण की कार्यवाही में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pu India
Date: 2026.04.16 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested

लालु का नाम वंचित रखते हुऐ सम्पुर्ण वादग्रस्त भूमि मोती के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई। लालु को उसके हिस्से से वंचित रखने के उपरान्त लालु के पुत्र मेघा व गणेश ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा हेतु न्यायालय सहायक कलेक्टर मावली को वर्ष–2020 में खातेदारी घोषणा हेतु एक वाद प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण सख्या–65/2000 रेवेन्यु वाद है। उक्त वाद न्यायालय सहायक जिला कलेक्टर महोदय मावली द्वारा दिनांक–27/06/2003 को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय की अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर के समक्ष पेश की जिसके प्रकरण सख्या–435/2003 अपील है, जो की मेघा बनाम उदयलाल के अनवान से लम्बित थी, जो गुणावगुण के उपरान्त दिनांक–19/08/2003 को स्वीकार हुई और न्यायालय सहायक जिला कलेक्टर मावली के आदेश को खारिज फरमाते हुऐ मुझ प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। राजस्व भू–प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक–19/08/2003 के फैसले के विरूद्ध मोती जी के वारिसो ने राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की, जिसके प्रकरण सख्या–4427/2003 है। जो दिनांक 25 जुन–2018 को निर्णित करते हुऐ मण्डल द्वारा आरएए उदयपुर के आदेश को खारिज फरमाते हुऐ न्यायालय सहायक जिला कलेक्टर मावली के द्वारा जारी आदेश को यथावत् रखा गया, जिसकी अपील मुझ विपक्षी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर की गई, जिसके अपील संख्या–7017/2006 तथा 113/2024 याचिका है जो वर्तमान में अभी तक लम्बित है। मोतीलाल के वारिसो को प्रार्थीगणो को उक्त भूमि दौराने वाद हस्तान्तरित की है जिस कारण प्रार्थीगणो को उक्त भूमि में किसी भी तरह का कोई हक अधिकार प्राप्त नही होता है। न्यायालय प्रतिपादित सिद्वान्त (लीज पेडेन्सी) के अनुसार दौराने वाद विक्रय की भूमि के आधार पर खातेदारो को उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार उत्पन्न नही होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में मुकदमा विचाराधीन है। प्रार्थीगणो को मूल वाद के निस्तारण के उपरान्त ही उक्त भूमि में हस्तक्षेप करने का अधिकार उत्पन्न होता है।

3. यह कि उक्त भूमि के संदर्भ में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्र.स.–2 उदयपुर से भी प्रकरण सख्या–111/2006, अनवान गणेश बनाम उदयलाल के प्रकरण से सिविल न्यायालय द्वारा मूल वादो के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में किसी भी तरह हस्तान्तरण करने से रोक थी, परन्तु मोतीलाल के वारिसों ने दौराने वाद व न्यायालय से हस्तान्तरण बाधित होने के बावजुद भी उक्त भूमि का हस्तान्तरण गैर कानूनी तौर से किया गया है जिस कारण भी प्रार्थीगणो को उक्त भूमि को हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार उत्पन्न नही होता है। मुकदमों के विचारण के दौरान श्रीमान् सहायक कलेक्टर मावली के आदेश क्रमांक–68/2000

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2026.04.16 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक–13/06/2002 राजस्व/2002/748 के अनुसार के आदेश की पालना में दिनांक–17/06/2002 को भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र मावली द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित जमीन के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें मुझ विपक्षी का उक्त भूमि पर कब्जा पाया गया था, जिससे भी यह साबित होता है कि उक्त भूमि पर कब्जा मुझ विपक्षी का है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगणों का कब्जा हक व अधिकार नहीं है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के बाबत् न्यायालयो में मुकदमें विचाराधीन है, जिससे प्रार्थीगणो को उक्त भूमि को हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार उत्पन्न नही होता है, तथा उक्त भूमि के बाबत् न्यायालयो में प्रकरण में लम्बित होने से प्रार्थीगणो को उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है तथा प्रार्थीगणो ने प्रार्थना–पत्र मिथ्या तथ्यो पर प्रस्तुत किया है।

4. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा गन्दोलीखेड़ा पटवार हल्का लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 2 पर दर्ज आराजी नम्बर 289, 290, 291, 292 किता 4 कुल रकबा 2.9947 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्राथीगण उक्त भूमि के जमाबंदी अनुसार खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। विपक्षी संख्या 48 का कथन है कि उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नही है। साथ ही उक्त भूमि के संबंध में वाद विचाराधीन है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम दर्ज होने से वह केवल मात्र पत्थरगड़ी करवाना चाहते है। उक्त कब्जा प्राप्त करने या कब्जे से बेदखल करने का नही है। उक्त प्रकरण के माध्यम से केवल मात्र भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी होती है। मौके पर जिस पक्षकार कब्जा है उसी पक्षकार का कब्जा रहता है। कोई भी पक्षकार उक्त पत्थरगड़ी के आदेश के संदर्भ में मौके पर जबरन कब्जा नही कर सकता है तथा ना ही मौके से किसी को बेदखल कर सकता है। यह प्रकरण कब्जा प्राप्त करने संबंधी नही है। केवल मात्र प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested

: : आदेश : :

5. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा गन्दोलीखेड़ा पटवार हल्का लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 2 पर दर्ज आराजी नम्बर 289, 290, 291, 292 किता 4 कुल रकबा 2.9947 हैक्टेयर भूमि का पुख्ता सीमांकन कर पूर्वी व पश्चिमी दिशाओ की सीमा पर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने या जबरन कब्जा प्राप्त करने का प्रयास नही करें। पत्थरगड़ी करने के पश्चात उभय पक्षो का कब्जे संबंधी मौके पर विवाद पाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
6. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
7. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested